Date – 27 July 2022

जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी

- हाल ही में, जापान के मुख्य पश्चिमी द्वीप क्यूशू में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।
- वर्ष 2021 में जापान के पास प्रशांत महासागर में फुकुतोकू-ओकानोबा पनडुब्बी ज्वालामुखी फट गया।

सकुराजिमा ज्वालामुखी

- सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसमें नियमित रूप से विभिन्न स्तरों के विस्फोट होते रहते हैं।
- यह एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है।

- ऐतिहासिक रूप से सकुराजिमा में सबसे बड़ा विस्फोट 1471-76 और 1914 में हुआ था।
- इसमें विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया है।
- कागोशिमा पर इसकी लगातार राख जमा होने और इसकी विस्फोटक क्षमता के कारण इसे सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।

ज्वालामुखी:

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटना है जो गर्म तरल और अर्ध-तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसों को मैग्मा के रूप में बाहर निकालता है।
- शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। इससे तेजी से विस्फोट हो सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में सामग्री निकलती है।
- पृथ्वी पर विस्फोटित सामग्री तरल हो सकती है ("लावा" जब यह सतह पर हो, "मैग्मा" जब यह भूमिगत हो), राख और/या गैस।

मैग्मा में वृद्धि के कारण:

- मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अभिसरण गति से गुजरती हैं। मैग्मा शून्य को भरने के लिए ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है तो ज्वालामुखी के बनने की प्रक्रिया पानी के अंदर भी हो सकती है।
- जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो मैग्मा भी ऊपर उठता है और प्लेट के हिस्से इसके आंतरिक भाग में गहराई तक चले जाते हैं, उच्च तापमान और दबाव के कारण क्रस्ट पिघल जाता है और मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाता है।
- मैग्मा अंतत: गर्म स्थान से ऊपर उठ जाता है। हॉट-स्पॉट पृथ्वी के अंदर गर्म क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। जब यह मैग्मा कम घना होता है तो ऊपर उठता है। हालांकि मैग्मा उत्थान के कारण अलग-अलग हैं, उनमें से प्रत्येक में ज्वालामुखी बनाने की क्षमता हो सकती है।

टाइप:

शील्ड ज्वालामुखी:

- यह ज्वालामुखी कम चिपचिपापन, बहता हुआ लावा पैदा करता है जो स्रोत से बहुत दूर तक फैला होता है और एक हल्के ढलान वाला ज्वालामुखी बनाता है।
- अधिकांश ढाल ज्वालामुखी तरल पदार्थ, बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बनते हैं।
- मौना की और मौना लोआ ढाल ज्वालामुखी हैं। वे हवाई द्वीप समूह के आसपास दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

स्ट्रैटो ज्वालामुखी:

- स्ट्रैटो ज्वालामुखियों में अपेक्षाकृत खड़ी ढलान होती है और वे ढाल वाले ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंकु के आकार के होते हैं।
- वे चिपचिपे, चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते हैं।

लावा गुंबद:

- कैरेबियाई द्वीप मोंटसेराट पर स्थित सौएरेरे पर्वत ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी के शिखर पर लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है, विकास और पतन के चरणों से गुजरा है। चूंकि चिपचिपा लावा बहुत तरल नहीं होता है, इसलिए जब इसे बाहर निकाला जाता है तो यह आसानी से निकास छेद से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बजाय यह वेंट के शीर्ष पर ढेर के रूप में जमा हो जाता है जो एक गुंबद के आकार की संरचना बनाता है।

काल्डेरा:

- ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में मैग्मा जमा होता है। जब एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो मैग्मा को कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मैग्मा कक्ष की छत की सतह पर खड़ी दीवारों के साथ एक अवसाद या कटोरी जैसी संरचना बनाता है।
- ये काल्डेरा हैं और दसियों मील की दूरी पर हो सकते हैं।

भारत में ज्वालामुखी:

- बंजर द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)
- नारकोंडम, अंडमान द्वीपसमूह
- बारातंग, अंडमान द्वीपसमूह
- डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र
- धिनोधर हिल्स, गुजरात
- धोसी हिल्स, हरियाणा

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार

स्ट्रीट वेंडर्स

- हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने "अतिक्रमणकारियों से स्वरोजगार तक" विषय पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया।

स्ट्रीट वेंडर्स:

- स्ट्रीट वेंडर वे व्यक्ति होते हैं जो माल बेचने के लिए एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना बड़े पैमाने पर जनता को सामान बेचने की पेशकश करते हैं।
- पथ विक्रेता सामान बेचने के लिए फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेते हैं या अस्थायी रूप से अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पुश कार्ट या हेड टोकरियों में ले जाते हैं।

जनसंख्या

- दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में सड़क विक्रेताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- भारत में लगभग 48 लाख रेहड़ी-पटरी वालों की पहचान की गई है।
- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 49 लाख, मध्य प्रदेश में 7.04 लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं।
- दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
- सिक्किम में किसी पथ विक्रेता की पहचान नहीं की गई है।

संवैधानिक प्रावधान:

व्यापार करने का अधिकार:

- अनुच्छेद 19(1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या व्यापार, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।

कानून के समक्ष समानता:

- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

सामाजिक न्याय:

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्थिति की समानता और अवसर सुनिश्चित करेगा।

निर्देशक सिद्धांत:

- **अनुच्छेद 38(1)** के तहत राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके|
- **अनुच्छेद 38(2)** 'आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने' का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 39 (ए)** राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुंच का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 41** विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर 'काम करने के अधिकार' का प्रावधान करता है।

रेहड़ी-पटरी वालों की संख्या बढ़ने के कारण:

- पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और साथ ही लाभकारी रोजगार की कमी ने लोगों को शहरों में बेहतर जीवन की तलाश में अपने गांवों से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है।
- इन प्रवासियों के पास बेहतर मजदूरी पाने, संगठित क्षेत्र में सुरक्षित रोजगार पाने के लिए कौशल या शिक्षा की कमी है, इसलिए उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम के लिए समझौता करना पड़ता है।
- दूसरा, देश में आबादी का एक और वर्ग है जो रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र में जाने को मजबूर है।
- ये वे कामगार हैं जो कभी संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे।
- उद्योगों के बंद होने, सिकुड़ने या विलय के कारण उनकी नौकरी चली गई और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को जीवन यापन करने के लिए असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी वाले काम की तलाश करनी पड़ी।

स्ट्रीट वेंडर्स के सामने चुनौतियां:

अंतरिक्ष की कमी:

- हमारे शहरों के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान विक्रेताओं/हॉकरों को स्थान आवंटित नहीं करते हैं, क्योंकि योजनाकार भारतीय परंपराओं की अनदेखी करते हुए विपणन की पश्चिमी अवधारणा का अनुकरण करते हैं।

एकाधिक प्राधिकरण समस्या निवारण:

- विक्रेताओं को कई प्राधिकरणों से निपटना पड़ता है- नगर निगम, पुलिस (स्टेशन के साथ-साथ यातायात), क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत आदि।

शोषण और जबरन वसूली:

- कई मामलों में एक प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम दूसरों के कार्यों के कारण अमान्य हो जाते हैं।
- वेंडरों को विनियमित करने के बजाय, नगर निगम उन्हें एक अतिक्रमणकर्ता और उपद्रव के रूप में मानते हैं, उनकी नीतियों और कार्यों का उद्देश्य उन्हें विनियमित करने के बजाय उन्हें हटाना और परेशान करना अधिक है।

बार-बार बेदखली:

- जिला या नगरपालिका प्रशासन द्वारा नियमित रूप से बेदखली की जाती है।
- वे अलग-अलग नामों से जानी जाने वाली निष्कासन टीम की कार्रवाई से डरते हैं।

रंगदारी रैकेट:

- 'जबरन वसूली' और 'हफ्ता वसूली' के मामले आम हैं।
- कई शहरों में विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त पैसा देना पड़ता है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार की पहल:

स्वानिधि योजना:

- शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभान्वित करने के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, जिसमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।
- इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:

- NASVI एक ऐसा संगठन है जो देश भर में हजारों रेहड़ी-पटरी वालों के आजीविका अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है।

- NASVI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में पथ विक्रेता संगठनों को एक साथ लाना था ताकि बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014:

- यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों को विनियमित और संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम स्ट्रीट वेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, एक अस्थायी संरचना के माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आम जनता को रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है।

स्वदीप कुमार

संसद में विपक्षी सांसदों का निलंबन

संदर्भ क्या है ?

- हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के कुछ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है जिसके कारण इस संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत, कोई सांसद संसद में कही गयी किसी बात के लिए भारत में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सदन में कही गई किसी भी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की आजादी है।
- सांसद जो कुछ भी कहता है वह राज्यसभा और लोकसभा की नियम पुस्तिका द्वारा शासित होता है। केवल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति ही इस पर कार्य कर सकते हैं।

विपक्षी सांसद ही क्यों निलंबित किये जाते हैं ?

- लोकसभा की नियम पुस्तिका के अनुसार सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर विपक्षी सांसद सरकार की नीति या किसी कानून का विरोध करते हैं। ऐसे में यदि कोई टिप्पणी, व्यवहार या ऐसी कोई बात विरोध में कही जाती है, जिसे स्पीकर अशोभनीय मानता है तो वह उस सांसद को निलंबित कर सकता है। इसी तरह

राज्यसभा का सभापति भी सांसदों के खिलाफ नियम पुस्तिका के अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

- देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्ष ही सरकार की नीति या कानून का नकारात्मक रूप से विरोध करता है। ऐसे में उन्हीं पर कार्यवाही की संभावना रहती है।
- संसद के सदनों में जानबूझकर शोर शराबा और अनावश्यक नकारात्मक टिप्पड़ी करने या किसी कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को निलंबित किया जा सकता है।

सांसदों पर कार्यवाही के नियम और प्रक्रिया

लोकसभा में नियम और प्रक्रिया

- सदन का संचालन नियम पुस्तिका से होता है। इस नियम पुस्तिका के नियम 373 के तहत यदि लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से निष्कासित कर सकता है या उसे शेष सत्र के लिए निलंबित भी कर सकता है।
- वहीं, इससे ज्यादा नकारात्मक व्यवहार होने पर अध्यक्ष सदस्यों से निपटने के लिए नियम 374 और 374ए के तहत कार्रवाई कर सकता है।

नियम 374

- लोकसभा अध्यक्ष उन सांसदों के नामों की घोषणा कर सकते हैं जिन्होंने सदन की मर्यादा को तोड़ा है या नियमों का उल्लंघन किया है और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है।
- जब अध्यक्ष ऐसे सांसदों के नामों की घोषणा करता है, तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसके निलंबन का उल्लेख किया जाता है।
- इसमें निलंबन की अवधि का उल्लेख है। यह अवधि अधिकतम सत्र के अंत तक हो सकती है। सदन चाहे तो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।

नियम 374ए

- 5 दिसंबर 2001 को नियम पुस्तिका में एक नियम जोड़ा गया है। इसे नियम 374 A कहा जाता है। यदि कोई सांसद जानबूझकर अध्यक्ष के आसन के पास आकर या नारे लगाकर या किसी अन्य तरीके से कार्यवाही में बाधा डालकर नियमों का उल्लंघन करता है तो इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे सांसद को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 5 बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि (जो भी कम हो) के लिए स्वतः निलंबित कर दिया जाता है।

राज्यसभा में नियम और प्रक्रिया

- लोकसभा के अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा की भी अपनी नियम पुस्तिका होती है। इसके नियम 255 के तहत, सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए नकारात्मक है और वह जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, उसे तुरंत सदन छोड़ने के लिए कह सकता है। दूसरे शब्दों में सांसद को उस दिन की कार्यवाही से निलम्बित किया जा सकता है।
- वहीं नियम 256 के तहत सभापति उस सांसद के नाम का उल्लेख कर सकता है जिसने जानबूझकर नियमों की अवहेलना की हो। ऐसे में सदन उस सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव ला सकता है। यह निलंबन मौजूदा सत्र तक के लिए हो सकता है। सदन दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से सांसद के निलंबन को रद्द कर सकता है।
- हालांकि, लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत, राज्यसभा के सभापति के पास सांसद को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा में सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई सदन द्वारा की जाती है।

निलंबन समाप्त करने की प्रक्रिया

- अध्यक्ष को एक सांसद को निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन उसके पास निलंबन को रद्द करने की शक्ति नहीं है। यह अधिकार सदन के पास है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का निलंबन वापस ले सकता है।
- निलंबित सांसद को सदन में अव्यवस्था फ़ैलाने के वावजूद पर पूरा वेतन मिलता है। केंद्र में एक के बाद एक कई सरकारों की 'काम नहीं तो वेतन नहीं' की नीति दशकों से विचाराधीन है। हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।

YOJNA IAS

मुकुंद माधव शर्मा

मंकीपॉक्स वायरस

दो साल से अधिक समय से दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है, अभी इससे पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि एक नया वायरस मंकीपॉक्स दुनियाभर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत सहित अब तक 75 देशों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 16 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले भारत में 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 3 केरल में और एक मरीज दिल्ली में

है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकीपॉक्स वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।**

क्या है मंकीपॉक्स?

- यह एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी (जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है) है, जो मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। यह पॉक्सिविरेडे परिवार से संबंध रखता है, इसमें चेचक की बीमारी पैदा करने वाले वायरस भी होते हैं। वायरस का एक परिवार होता है, उसमें अलग-अलग वायरस और उसके स्ट्रेन होते हैं, जैसे कोरोना वायरस एक परिवार से सम्बंधित है, इसमें कोरोना के अलग-अलग वायरस यानी स्ट्रेन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन थे।
- "इस बीमारी को लेकर पैनिक होने वाली बात नहीं है। यह वायरस हवा में नहीं फैलता है। इसके महामारी के रूप में फैलने की आशंका बहुत कम है। यह कोविड से अलग है। यह संक्रमित मरीज के बहुत करीब जाने से ही होता है। इसलिए, यह उस स्तर पर खतरनाक नहीं है।"
- इसका मंकी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, चूंकि एक बार लैब के अंदर बंदरों के बीच यह संक्रमण फैला था, इस वजह से इसका नाम मंकीपॉक्स रखा गया। इसका ट्रांसमिशन वाइल्ड एनिमल के जरिए इंसान में हो सकता है और इसके बाद इंसान से इंसान में संक्रमण जा सकता है।
- इसकी जांच के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट करना होता है, लेकिन सैंपल लेने का तरीका अलग है। कोविड में वायरस की पहचान के लिए नाक या गले का स्वैब लेते हैं, लेकिन इसमें मरीज के शरीर में बने रैश के अंदर का पानी निकालते हैं और उसकी पीसीआर जांच की जाती है। इस बीमारी की पहचान के लिए क्लीनिकल और डायग्नोस्टिक दोनों जरूरी है। क्लीनिकल में यह देखा जाता है कि मरीज को फीवर के अलावा रैशज या अन्य क्या-क्या दिक्कत हैं। इसके अलावा लैब में इसकी पीसीआर जांच में डीएनए का मिलान किया जाता है, अगर मिल जाता है तो मंकीपॉक्स है। फिलहाल देश में एनआईवी पुणे में ही इसकी जांच हो रही है, लेकिन इसके अलावा 15 अन्य लैब को इसके लिए तैयार किया जा रहा है।
- **संचरण:**
  - मंकीपॉक्स वायरस ज़्यादातर जंगली जानवरों जैसे- कृन्तकों और प्राइमेट्स से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन मानव-से-मानव संचरण भी होता है।
  - संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम कारक होता है।

- मानव-से-मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से या रोगी या घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा तथा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क के कारण हो सकता है।
- इसका संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा (जन्मजात मंकीपॉक्स) के माध्यम से भी हो सकता है।

- **उपचार और टीका:**
  - मंकीपॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिये कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
    - WHO द्वारा मंकीपॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किये जाने के बाद **यूरोपीय संघ** ने मंकीपॉक्स के इलाज के लिये चेचक के टीके, इम्वेनेक्स की अनुशंसा की है।

मंकीपॉक्स कितना खतरनाक

- डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुछ मामले में यह सीवियर हो सकता है। दो स्ट्रेन हैं। पहला कांगो और दूसरा पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन में 5 साल से छोटे बच्चों को अधिक खतरा है। कांगो स्ट्रेन से संक्रमण में डेथ रेट 10 परसेंट तक हो सकता है, जबकि पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन में यह 1 से 3 परसेंट तक हो सकता है।

वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल:

- **परिचय:**
  - वैश्विक आपातकाल का अर्थ है किसी ऐसी बीमारी/रोग से जो एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकता है और इसके लिये समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

- **स्वास्थ्य आपातकाल:**
  - मंकिपोक्स वायरस **गैर-स्थानिक** हो गया है, अर्थात वायरस का प्रसार उन देशों में तेज़ी से हुआ है जहाँ यह पहले कभी नहीं देखा गया।
  - WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना मंकिपोक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के तीन मानदंडों को पूरा करता है।
    - घोषणा के लिये आवश्यक तीन मानदंड हैं:
      - कोई भी रोग "असाधारण घटना" हो,
      - रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिये "सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है",
      - इसके लिये "संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"
  - एक महीने के भीतर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या **पाँच गुना बढ़ गई है।**
  - वैज्ञानिक सिद्धांत, साक्ष्य और अन्य प्रासंगिक जानकारी (कई अज्ञात छोड़कर) वर्तमान में अपर्याप्त है।
  - मानव स्वास्थ्य के लिये **जोखिम के साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हस्तक्षेप की संभावना है।**
- **पूर्व आपातकाल:**
  - WHO ने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे कि **कोविड -19 महामारी**, वर्ष 2014 में **पश्चिम अफ्रीकी इबोला का प्रकोप**, वर्ष 2016 में लैटिन अमेरिका में **ज़ीका वायरस** और पोलियो के उन्मूलन के लिये चल रहे प्रयास हेतु आपात स्थिति की घोषणा की थी।
  - आपातकालीन घोषणा ज़्यादातर **वैश्विक संसाधनों और प्रकोप पर ध्यान आकर्षित करने के लिये मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।**
- **यूरोपीय देशों में बढ़ रहे हैं मामले**
  - चिंता की बात यह है कि पहली बार मंकीपॉक्स ऐसे लोगों में फैलता दिख रहा है जो अफ्रीका नहीं गए थे। ज्यादातर मामले ऐसे पुरुषों के हैं जिन्होंने अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए थे। ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों में मंकीपॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। यहां के अधिकतर मरीज सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में प्राइवेट पार्ट में घावों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। सेक्स से मंकीपॉक्स फैल रहा

है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। पहले इसके सेक्स के जरिए फैलने के मामले नहीं आए हैं, लेकिन बहुत करीब जाने, नजदीकी संपर्क, शरीर से निकले वाले लिक्विड पदार्थ के जरिए यह फैल रहा है। कुछ दिन पहले मंकीपॉक्स पर लैंसेट की आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की तरह ही मंकीपॉक्स भी अपने लक्षण बदल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन में मंकीपॉक्स के मरीजों के प्राइवेट पार्ट में जख्म मिले हैं। ये दुनियाभर में पहले से मिले मंकीपॉक्स के लक्षणों की तुलना में अलग हैं।

रवि सिंह